

गंगा गरफ्तार

आत्म चार रास्ते पर दैहिक
मन में धा तैनात

मिदाबाद, भाग्यचार निगोछर
है (एम्पेची) ने गहर के
आत्म चार रास्ते से एक दैहिक
मन का वक्रम में मदद करने वाले
गार्ड को सौ रफए की रिस्वत लेते
हैं।

एम्पेची को टीम मरलवम को
आत्म चार रास्ते पर वीच में थी।
वीचन यहां से एम्पेची की टीम
सदस्य ने एक व्यक्ति को मज्जी
बाहन लेकर चार रास्ते से गुजरने
कहा। व्यक्ति बाहन लेकर गुजर
यहां पर तैनात होमगार्ड रक्तिनाल
न ने बाहन चालक को रोक
रा। उससे ड्राईवेन लाइसेंस मांगा।
मिग लाइसेंस नहीं होने की वज
ह ने पर उसने सौ रफए की रिस्वत
ले। सौ रफए देने पर उसने रफए ले
एक दिया। होमगार्ड के रफए लेते
एम्पेची को टीम में आगेरे को
इ लिखा।

वंचित!

रुद्ध मामला दर्ज

मला था। उसके बाद से नहीं मिल
थीकि हर महीने यह राशि आता है।
मैरल-2017 से निकोल के
मनगर इलाके में आंगनवाड़ी
गणको पर मजूर है और चालू है।
सक बावजूद भी लखावटी रहन से
विता है। जबकि हर महीने इनके
क का रहन तय मोदम से उताव
ता है। निकोल पुलिस ने मामला
र्ज करते हुए जांच शुरू की है।

सबमोशबल पंप निर्माताओं के यहां बीआईएस की दबिश



सीलबंद पानी की बोलत विप्रेताओं
के यहां भी छाये ✓

मंजूरी बिना
आईएसआई के
लोगो के उपयोग
का चला पता

अहमदाबाद, सूरत
में 14 जगहों पर
छापेमारी

अहमदाबाद, भारतीय मानक
ब्यूरो (बीआईएस) की ओर से
सीलबंद पानी एवं सबमोशबल पंप
निर्माता इकाइयों पर बुधवार को
कार्रवाई की। अहमदाबाद व सूरत
की 14 इकाइयों पर एक साथ
दबिश दी गई।

बीआईएस अहमदाबाद के
वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख आलोक
सिंह ने बताया कि ब्यूरो को सूचना
मिली कि सीलबंद पानी की बिक्री
करने वाली एवं सबमोशबल पंप
का निर्माण करने वाली
अहमदाबाद व सूरत की इकाइयों
में ब्यूरो के मानक नियमों एवं
आईएसआई के लोगो का बड़े
पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा

है। ब्यूरो के बिना इसका उपयोग
घड़लों से हो रहा है। इस सूचना
पर बुधवार को नका आदेश में
सीलबंद पानी की बिक्री करने
वाली इकाई नीलकंठ बेयरजेज,
सबमोशबल पंप निर्माता इकाई
मोडा मिश्र प्रांश्यून इंजीनियरिंग
और एम मिश्र ओपनबेल पंप
सेट एवं सीलबंद पानी के विप्रेता
एम पीएम एन्कवाटेक सूरत में दबिश
दी गई।

नीलकंठ बेयरजेज से 97
खाकी और 4 पर हुए पानी के
आदेश भार के लोगो वाल पाना के
बार (मोडल) बरामद हुई।
प्रांश्यून इंजीनियरिंग से सात
सबमोशबल पंप एवं ओपनबेल
पंपसेट से करीब 700 भारिक
प्लेट बरामद हुई। एम पीएम एन्क
सूरत से 674 कार्टून बरामद हुए,
जिनमें प्रत्येक कार्टून में एक लीटर
की 12 बोतल थीं। एवं 22000
लेबलिंग स्लीव बरामद हुए। इनमें
आईएसआई का लोगो का।

यहां सभी ऐसी इकाइयां थीं,
जिनका बीआईएस का लाइसेंस
रद्ध हो गया। इसके बावजूद भी
यह इकाइयां आईएसआई के लोगो
का मानक से उपयोग कर रही थीं।